REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2019

सामाजिक समावेशन में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

धनन्जय सिंह यादव
शोध छात्र , शैक्षिक अध्ययनशाला, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सारांश–

समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा जुड़ाव की भावना का पालन किया जाता है, समावेशन एवं बहिर्वेशन परस्पर दो विरोधी गतिविधियाँ हैं जहाँ एक में जुड़ने की तो दूसरे में उतनी ही तीव्रता के साथ अलगाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस बहिर्वेशन के अनेक सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ होते हैं लेकिन सामाजिक क्रियाकलाप एवं परस्पर अंतःक्रियायें वे महत्वपूर्ण घटक हैं, जिन्होंने समावेशन में सबसे ज्यादा रुकावटें उत्पन्न की हैं। हमारे समाज में बहिष्करण बहुत ही व्यापक तौर पर परिलक्षित होता है, जिसमें जाति, समाज, संप्रदाय, नस्ल एवं लिंग के आधार पर वहिष्करण प्रमुख रूप से दिखायी देता है। इस शोध पत्र में शिक्षा में वहिष्करण के परिणामस्वरूप आने वाले विभेद तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से शिक्षा में होने वाले सामाजिक समावेशन पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। इस अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से आंकड़ें प्राप्त किये गये हैं।

मुख्य शब्द– *विद्यालय प्रबंधन समिति, सामाजिक भागीदारी, विद्यालयी व्यवस्था, जाति,।*

प्रस्तावना–

भारत में जाति–व्यवस्था की काफी पुरानी तथा प्रचलित परंपरा रही है। जाति व्यवस्था की गहराई का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ज्ञान एवं चिंतन की विषय–वस्तु भी जाति के प्रभावों से युक्त रही है *(सहाय 2007)*। यहाँ पर प्रत्येक सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी अन्य सरोकारों की अपेक्षा व्यक्ति विशेष की जातिगत पहचान पर अधिक निर्भरता रहती है। हालांकि वर्तमान में जाति के स्वरूप में कुछ परिवर्तन जरूर आया है, जिनमें पुरानी मान्य परम्पराओं के स्थान पर नए प्रतिमान जुड़ रहे हैं और इसका कारण समाज में बढ़ते शैक्षिक, राजनैतिक एवं आर्थिक सन्दर्भों को माना जा सकता है। उन प्रभावों के कारण ही हम आज सामाजिक न्याय, बंधुत्व और समानता जैसी संवैधानिक मूल–भावना के साथ–साथ संविधान के आत्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरफ बढ़ पा रहे हैं। भारत सरकार ने *'शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009'* के अंतर्गत विद्यालयों में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने एवं सामाजिक भागीदारी तथा सहभागिता विकसित करने हेतु विद्यालय *प्रबंधन* समिति के गठन की बात कही है, *(आर.टी.ई.–एक्ट : 2009)* तथा ये माना है कि समिति के माध्यम से विद्यालयों

(जो कि समाज का एक लघु रूप है– *'जॉन डीवी'),* अर्थात् जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व समाहित है, में वास्तव में समतामूलक भागीदारी स्थापित की जा सकती है। परिणामस्वरूप विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रत्येक सामाजिक समूह एक–दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, साथ ही साथ महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूहों की स्वीकार्यता बढ़ी है। प्रस्तुत अध्ययन विद्यालयी समुदाय के समक्ष आने वाले जाति

आधारित भेदभाव तथा सामाजिक स्तरीकरण की चुनौतियों के सम्बन्ध में एक शोधपरक पड़ताल के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकेगा। प्रस्तुत लेख हेतु आकड़े पूर्णतया अध्ययनकर्ता द्वारा एकत्रित प्राथमिक स्त्रोतों पर आधारित हैं, साथ ही साथ कुछ द्वितीयक आकड़ों का भी प्रयोग किया गया है।

अध्ययन विधि–

इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से आंकड़ें प्राप्त किये गये हैं, आंकड़ें निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण, साक्षात्कार तथा पत्र–पत्रिकाओं एवं विभिन्न शिक्षायी नीतियों से प्राप्त किये गये हैं। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र के दौरान प्राप्त किये गये व्यक्तिगत अनुभवों को भी इस शोध पत्र में सम्मिलित किया गया है।

सामाजिक समावेशन को विभिन्न संदर्भों में समझना–

समावेशन को समझने के लिए भिन्न–भिन्न संदर्भों को समझना होगा। समावेशन वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो घटक आपस में इस आधार पर जुड़ते हैं कि कोई विशेष अंतर उनके अंतर्निहित प्रक्रियाओं में नहीं है। समावेशन में किसी भी घटक का सम्मिश्रण ही सम्मलित नहीं होता है, बल्कि उसके साथ–साथ उसके सैद्धांतिक पक्ष को भी महत्व दिया जाता है। विद्यालय के अंदर अनेक घटक कार्य करते हैं, जिनके बीच अनेक प्रकार की अंत:क्रिया निहित रहती है, कभी–कभी इन घटकों के बीच किन्हीं विशेष सन्दर्भों में कुछ दूरी या रिक्तता आ जाती है, इसी दूरी या रिक्तता को कम करने का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग या समूह के अन्दर वर्ग या समाज में बिना किसी भेदभाव के एकरूपता लाना होता है, जिससे कि उनके अन्दर सामाजिकता, समरसता, आत्मविश्वास तथा समानता का बोध कराया जा सके, जिसके द्वारा एक ऐसे समूह के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके जिसमें ऊँचें–नीचे तथा सक्षम–असक्षम का भाव कम किया जा सके।

नीतिगत समावेशन–

01 अप्रैल 2010 से पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य देश के सभी प्रारम्भिक विद्यालयों के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के लगभग 20 करोड़ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 में विशेष प्रयास किया गया, इस हेतु इस अधिनियम में एक समिति के गठन का प्रस्ताव है, जिसे विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम से जाना जाता है। अधिनियम की *धारा 21 (1) धारा 2 के उपखंड (iv)* में कहा गया है कि स्कूलों में गुणात्मक वृद्धि तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रत्येक प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में स्थानीय जन समुदाय में से एक कमेटी का निर्माण किया जायेगा। इस समिति में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में से समुदाय के सभी वर्गों के लोगों को सम्मिलित करने की बात कही गयी है। समिति में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, वार्ड मेम्बर, महिला पंच, पुरुष पंच, वरिष्ठ महिला शिक्षिका सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात कही गयी है अर्थात विद्यालय विकास के लिए गठित यह समिति समुदाय के सभी लोगों को एक फलक प्रदान करते है जिसके माध्यम से उस समुदाय/समाज या स्थान विशेष के लोग मिलते हैं तथा आपस में विभिन्न शिक्षायी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। परिणामस्वरूप विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से लोग आपस में जुड़ रहे हैं तथा शिक्षायी विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर अपने मत रखते हुए सहमत एवं असहमत होते हैं बावजूद इसके उनके बीच के भेदभाव पहले की अपेक्षा कम हो रहे हैं। समिति के एक सदस्य जिनकी आयु 38 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते हैं, का कहना है कि *'समिति की बैठक में पहली बार ऐसा हुआ कि उनको बैठक में भाग लेने हेतु बुलाया गया तथा समाज के छोटे बड़े सभी जातियों के लोगों के बीच में बैठकर उनको अपनी बात रखने को कहा गया, पहले तो कुछ हिचकिचाहट थी, क्योंकि कभी ऐसी बैठक में भाग नहीं लिया था लेकिन 2–3 बैठकों के बाद मैं आसानी से अपनी बात कह पाता हूँ तथा यह एकदम से नया एवं सुखद अनुभव रहा'*। उक्त सदस्य की बात उन बातों की तरफ इशारा करती है, जिसमें व्यक्तियों के बीच आपसी भेदभाव पाया जाता है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन समिति एक ऐसे शस्त्र के रूप में सामने आई है, जो बिना किसी विशेष प्रयास एवं संघर्ष के समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को तोड़ने का महत्वपूर्ण पड़ाव

साबित हो रही है या उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है, इस तरह विद्यालय प्रबंधन समिति शिक्षायी विकास के साथ–साथ सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया में भी प्रभावी भूमिका निभाती हुई प्रतीत हो रही है।

लैंगिक समावेशन–

विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को भी इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन में महिलाओं की हिस्सेदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु समिति के सदस्यों में महिलाओं की भागीदारी के अतिरिक्त समिति के अंदर महिला पंच या पार्षद तथा विद्यालय की वरिष्ठ महिला शिक्षिका को सदस्य के रूप में समिति के अंदर स्थान प्रदान किया गया है, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। इस तरह हम देखते हैं कि महिलाओं को अपनी बात कहने एवं अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के अन्दर पर्याप्त स्थान दिया गया है। क्षेत्र अध्ययन के आधार पर जो जानकारी सामने निकलकर आयी उससे यह स्पष्ट होता है कि समिति लैंगिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है, समिति ने न सिर्फ महिलाओं को बैठकों में सम्मलित होने का अधिकार प्रदान किया है, बल्कि उनको स्वतंत्रता, समानता एवं सहभागिता का एक एहसास भी दिलाया है जिससे उनके अंदर अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिएनये प्रकार का आत्मबल का निर्माण हुआ है। एक समय में जब महिलाओं के लिए बड़ों का आदर, सम्मान की बाते उनके अधिकारों को पूरी तरह से नजरअन्दाज कर देती थी, वहीं दूसरी तरफ समिति के प्रयासों ने इन बातों के साथ–साथ उनके अधिकारों के प्रति उनमें एक नये तरह की चेतना का निर्माण किया है। शासकीय माध्यमिक शाला जैतपुर में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति की महिला सदस्य *विमला* (परिवर्तित नाम) ने बताया कि, *'पहले समिति की महिला सदस्य अपनी बात कहने में संकोच करती थीं लेकिन अब वे अपनी बात स्पष्टता के साथ कह पाती हैं वो भी निःसंकोच'*। हालाँकि क्षेत्र अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि समिति की बैठक में आने वाली महिलाओं में अभी भी पर्दा करना एवं बड़ों के समक्ष अपनी बात को मजबूती के साथ रखना एक बड़ी चुनौती है, बावजूद इसके उनका घर की दहलीज से बाहर आना तथा अपने समाज के पुरुषों के साथ बैठक में भाग लेना लैंगिक आधार पर किये जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध एक निर्णायक प्रयास एवं महत्वपूर्ण सुधार के तरफ संकेत करता है। महिलायें अब न सिर्फ बैठकों में भाग लेती हैं बल्कि अपने समाज के साथ दूसरे समाज की महिलाओं के साथ परस्पर भागीदारी करती हैं, जिससे उनके सामाजिक दायरे में भी बढ़ोत्तरी हुई तथा महिला एवं पुरुष के बीच व्याप्त असमानता भी कुछ हद तक कम हो रही है, बावजूद इसके अभी भी समितियों में कुछ ऐसे कारक हैं, जहाँ पर लैंगिक विभेद कायम हैं– जैसे महिलाओं के स्थान पर उनके पति का बैठकों में भाग लेना, बैठक में उपस्थित होने के बाद भी सक्रिय सहभागिता न करना, निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होना, इत्यादि समस्याओं के बावजूद ये कहा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति ने महिलाओं हेतु एक अवसर प्रदान किया है, जिससे की वे अपने पूर्व निर्धारित सामाजिक दायरे से बाहर की दुनिया को समझने तथा लैंगिक विभेद को मिटाने का सफल प्रयास कर सकें।

समितियों में विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी का स्तर एवं प्रारूप–

शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि गठित होने वाली समिति में समुदाय (स्थानीय समाज) के सभी वर्गों के लोगों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। विद्यालयों में होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को कम करना एवं समुदाय के सभी वर्गों के लोगों को विद्यालयी गतिविधियों में शामिल करना एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को मजबूत किया जाता है, जिसमें लोकतान्त्रिक तरीके से समुदाय का शिक्षा के विकास एवं प्रबंधन में सहयोग प्राप्त किया जाता है *(भादू : 2006)*। *शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के भाग 4 की धारा 21* में इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है कि 'विद्यालय में प्रवेशित बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों, विद्यालय के अध्यापकों एवं सम्बन्धित ग्राम–पंचायत के प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा। विद्यालय विकास हेतु गठित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति में तीन–चौथाई सदस्य विद्यालयों में नामांकित बच्चों के माता–पिता या अभिभावक होंगे तथा उसमें भी अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के के बालकों

के माता–पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, जिसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात की गयी है। इस तरह विद्यालय प्रबंधन समिति उन लोगों की विद्यालयों तक अधिकारपूर्ण पहुँच सुनिश्चित करती है, जो एक तरह से विद्यालयों और अपने बीच अलगाव का अनुभव करते थें।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 22 (1) के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय से सम्बन्धित योजना तैयार करेगी, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं एवं दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

इस तरह हम देखते हैं कि विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को शामिल करने एवं उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस समिति के माध्यम से योजना निर्माण, अनुदान प्राप्त करने, कार्यों की मानीटरिंग करने तथा शिक्षण कार्य से सम्बंधित मुद्दों पर विद्यालय प्रबंधन समिति को पूर्ण भागीदारी के अवसर प्रदान किये गये हैं।

समिति के कारण आये बदलाव–

विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं उसकी गतिविधियों के कारण समाज में अनेक प्रकार के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसे समझने के लिए हमें समिति के स्वरूप एवं उसके सहभागिता के स्तरों को समझना होगा। इन बदलावों को हम निम्न सन्दर्भों में भी समझ सकते हैं –

1. विद्यालय प्रबंधन समिति की गतिशीलता के परिणामस्वरूप समूह के सदस्यों में सौहार्दपूर्ण माहौल का निर्माण हो सका है, जब समिति के लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वे किसी विशेष जाति धर्म एवं समुदाय के रूप में बात नहीं करते हैं, बल्कि वे सिर्फ एक समूह के सदस्य के रूप में बात करते हैं।
2. विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की भागीदारी बढ़ी है तथा महिलाओं में छोटे स्तर पर ही सही मगर उनके क्रियाकलापों, व्यवहारों तथा अभिवृतियों में गतिशीलता आयी है, जिसका व्यापक असर महिलाओं के ऊपर पड़ा है। इस तरह की सहभागिता ने उनको आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्णय–निर्धारण की प्रक्रिया में सहभागिता की तरफ और अधिक उन्मुख किया है, जिसके कारण स्वयं से सम्बन्धित कार्यों के बारे में निर्णय लेने में उनकी सहभागिता बढ़ी है।
3. समिति की क्रियाशीलता स्थानीय परिस्थिति के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई है, यह स्थानीय परिस्थिति बच्चों के अधिगम क्षमता को बढ़ा देती है, जिससे बच्चे सक्रिय रूप से सीखने हेतु अभिप्रेरित होते हैं तथा अधिगम भी उच्च स्तर का पाया जाता है।

निष्कर्ष–

अध्ययन के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति सामाजिक भेदभाव खत्म करने हेतु बहुत ही सार्थक भूमिका निभा रही है। जब विद्यालय प्रबंधन समिति में भिन्न–भिन्न जाति के लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी इन गतिविधियों का असर न सिर्फ उनके व्यक्तिगत सम्बन्धों पर पड़ता है बल्कि आस–पास के बच्चे जो उसी गाँव से हैं, उनके ऊपर भी पड़ता है। जब बच्चे अपने अभिभावकों को अन्य लोगों के साथ सहभागिता करते हुए देखते हैं, तो उनके मन में भी अन्य समुदाय के बच्चों के प्रति एक विशेष भाव उत्पन्न होता है जिसमें न तो जाति का कोई स्थान होता है न ही पूर्व निर्धारित सामाजिक परम्पराओं बल्कि यह गतिविधि बच्चों में नये तरह के सामाजिक संस्कार उपजाते हैं, जिसके आधार पर जातिगत भेदभाव को कम जगह मिलती है। दूसरी बात यह कि बच्चों को समिति की सहभागिता का परिणामस्वरूप अपना स्थानीय परिवेश मिलता है, जिसका लाभ यह होता है कि विद्यालय में निर्मित परिवेश के आधार पर बच्चें अपने स्थानीय परिवेश का निर्माण अपने विद्यालयी वातावरण में तथा अपने मानस पटल पर करते हैं, जिसमें विभिन्न धर्म, समुदाय एवं जातियों के लिए अपना स्थानीय वातावरण एवं जनसमूह के लिए विशेष स्थान प्राप्त होता है, जिसके आधार पर बच्चों में जातिगत भेदभाव, वैमनस्यता तथा रूढ़िवादी विचारों के क्षरण में बहुत ही सकारात्मक सहयोग प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति ने विद्यालय एवं उसकी शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की सहभागिता एवं परस्पर जुड़ाव के माध्यम से

सामाजिक समावेशन हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहल की है। बैठकों एवं अन्य विद्यालयी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा या विद्यालय में सामाजिक समावेशन स्थापित करने में मदद मिली है। संक्षेप में कहें तो विद्यालय प्रबंधन समिति वह जरिया नहीं है, जिसके माध्यम से समाज में व्याप्त लैंगिक, सामजिक एवं राजनैतिक असमानता को पूर्णतः समाप्त हो जायेगी, लेकिन समिति के गठन एवं क्रियान्वयन ने समाज में व्याप्त सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं के क्षेत्र में छोटे स्तर पर ही सही किन्तु इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है जिसके परिणाम निकट भविष्य में और भी सकारात्मक आयेंगे।

सन्दर्भ–

- सहाय, निरंजन 'ऊँचें मंसूबे की असावधान प्रस्तुति' शिक्षा–विमर्श, सितम्बर–अक्टूबर 2007।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मानव संशाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
- जॉन डीवी, (2010), 'शिक्षा और लोकतंत्र', ग्रन्थ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।
- प्रेमा रघुनाथ, सम्पादकीय, लर्निंग कर्व, नवम्बर, 2015.
- धारा 21(1), निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम.2009, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- वार्ड न. 10 केसली विकासखंड से प्राप्त जानकारी साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी।
- अरविन्द, आर. गेसू एवं शर्मा, संजय. (2008), 'शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता एवं दलितरू अंतर्संबंधों की पड़ताल', परिप्रेक्ष्य, वर्ष 15, अंक 01, अप्रैल 2008.
- कुमार, कृष्ण, (2013), 'राज समाज और शिक्षा', राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।
- एपल, माइकल डब्लयु. एवं बीन, जेम्स ए. (2011), लोकतांत्रिक विद्यालय : कक्षा से सीखें सबक', एकलब्य प्रकशन, भोपाल।
- भादू, राजाराम (2006), 'सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा', परिप्रेक्ष्य, सितम्बर–अक्टूबर, 2006।

धनन्जय सिंह यादव
शोध छात्र , शैक्षिक अध्ययनशाला, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)